155
21-6-16

दिल्ली विकास प्राधिकरण
स्टाफ क्वार्टर आवंटन शाखा

सं.: एफ.1 (01)/2016(मिस.)/स्टाफ क्वॉटर/डी.डी.ए/168 दिनांक :– 17 जून, 2016

परिपत्र

विषय :–वर्ष 2016–2017 हेतु स्टाफ क्वॉटरों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु ।

स्टाफ क्वॉटर के इच्छुक दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति सहित) से वर्ष 2016–2017 के लिए डी.डी.ए स्टाफ क्वॉटरों (पुराने राजेंद्र नगर तथा मयूर विहार, पॉकेट–3, फेज–1 को छोड़कर) के लिए आवंटन/परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाते हैं ।

2 **आरक्षण:**

आरक्षण इस प्रकार है:–

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षण: (1) श्रेणी–1 एवं 2 10%
(2) श्रेणी–3 एवं 4 5%

(2) महिला हेतु आरक्षण : 10%

आरक्षण की श्रेणी के दावे के समर्थन में आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए ।

3 पुराने राजेन्द्र नगर तथा मयूर विहार, पाकेट–3, फेज–1 के स्टाफ क्वाटर मे रहने वाले उन कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृति की तिथि 30–9–2016 के बाद है और वे 31–5–2017 के बाद भी स्टाफ क्वार्टर की सुविधा किसी अन्य स्थान पर लेना चाहतें हैं वे पूराने राजेन्द्र नगर एवं मयुर विहार, पॉकेट–3, फेज–1 को छोडकर किसी अन्य स्थान पर स्टाफ क्वाटर के लिए आवेदन कर सकते है अन्यथा उनके विरुद्व वर्तमान स्टाफ क्वाटर से निष्कासन की कारवाई की जाएगी । इस आश्य का परिपत्र इस शाखा के पत्र सं0 1(38)2011/दि0वि0प्रा0/स्वा0क्वा0/1050 दिनांक 15–10–15 को जारी किया जा चुका हैं ।

4 इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5 जो अधिकारी श्रेणी–5 के आबंटन के पात्र हैं वे चाहे तो श्रेणी–4 के आबंटन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं । उस स्थिति में वे श्रेणी–4 एवं श्रेणी–5 के लिए अलग–अलग फार्म भरें ।

6. आवेदन हेतु फार्म स्टाफ क्वॉटर शाखा से दिनांक 17.06..2016 से प्राप्त किये जा सकते है । पूरी तरह से भरे हुए सभी आवेदन फार्म स्टाफ क्वाटर आबंटन शाखा, कमरा नं. बी–410, चौथी मंजिल बी. ब्लाक विकास सदन, नई दिल्ली को दिनांक 17.06..2016 से जमा किये जा सकते हैं ।

7. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को स्टाफ क्वॉटर आबंटित/परिवर्तित किया जाता है और उसने निर्धारित समय पर कब्जा लेने से इन्कार कर दिया या निर्धारित समय पर कब्जा नहीं लिया तो उसकी पात्रता रदद कर दी जाएगी और वह आबंटन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए पुनः आबंटन के लिए योग्य नहीं होगें तथा अस्वीकार करने की स्थिति में समय रहते सूचित नहीं करने पर नियमानुसार मकान किराया भत्ता व लाइसेंस शुल्क काटा जाएगा ।

8. परिवर्तन के मामले में एक श्रेणी में एक ही बार परिवर्तन मान्य है ।

9. नया आबंटन लेने के पश्चात् परिवर्तन के लिए आवंटन की तिथि से छः महिने के बाद ही आवेदन स्वीकार होगा ।

10. अधूरे/प्रतिहस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र सीधे ही अस्वीकार कर दिये जायेंगें ।

11. आवेदन करने की अन्तिम तारीख 15.07.2016 है । अन्तिम तिथि के उपरांत प्राप्त सभी आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, तथा स्वतः रदद माने जायेगें ।

17/6/16
निदेशक (नजारत)

संलग्न :– उपलब्ध क्वार्टरों का ब्यौरा

प्रतिलिपि :–

1. विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों/अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को उपर्युक्त सूचना की जानकारी परिचालित करवा दें ।
2. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. – प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
3 नोटिस बोर्ड ।

17/6/16
सहायक निदेशक (स्टा0 क्वा0)

दिनांक: 17.06.2016

खाली स्टाफ क्वाटरों का विवरण

	टाईप/श्रेणी						
स्थान	I	II	III	IV	V	VI	VII
लारेंस रोड़	25		28	2			
दिलशाद गार्डन	10	10	6				
जनकपुरी	2	8					
चिराग एंक्लेव							
बाग रावजी	4						
देव नगर	3						
अशोक विहार	31						
पीतमपुरा			16				
पश्चिम विहार	28		1				
वंसत एंक्लेव	2						
विकासपुरी	6						
मंगलापुरी	1						
रोहिणी	15	36					
शाहपुर जट							
नसीरपुर	8						
राजेंन्दर पैलेस							
वंसत कुंज		18	5				
मुनिरका				3			
रजौरी गार्डन		6	5				
मयूर विहार, पाकेट- 1 व 2		2	3				
करोल बाग		1					
मादीपुर		1	1				
रामपुरा		2					
जयदेव पार्क		6					
सरिता विहार							
नंदनगरी		6					
द्वारका		15		3			
सफदरजंग एंक्लेव							
बेर सराय		2	10				
साकेत							
एस.डी.ए. (ऊषा निकेतन)			19				
शालीमार बाग							
ए.जी.वी.सी.					4		
भगवान दास रोड़							
गाजीपुर			2				
राष्ट्र मंडल खेल गांव						3	

उपरोक्त विवरण मे राजेन्द्र नगर व मयूर विहार, पाकेट -3 के खाली क्वार्टरों सम्मिलित नही हैं। खाली स्टॉफ क्वाटरों की संख्या घटाई और बढाई जा सकती है।